प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय; बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 4557/2006</u>

याचिकाकर्ता **राम कुमार चौधरी**

बनाम

उत्तरवादी **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

निर्णय एवं आदेश उद्घोषणा हेतु 23 अप्रैल 2012 को सूचीबद्ध करें।

सही /-

सतीश के.अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय; बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4557/2006

याचिकाकर्ता राम कुमार चौधरी

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायाधीश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

प्रस्तुत:- श्री अशोक कुमार शुक्ला के साथ श्री अतानु घोष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता
श्री पी.के.भादुडी राज्य/प्रतिवादी क्रमांक 01 के शासकीय अधिवक्ता
श्री संजय के.अग्रवाल अधिवक्ता प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 की ओर से उपस्थित थे।

(23अप्रैल, 2012 को प्रदत्त)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता दिनांक 14.09.2002 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-05) को अपास्त करने की मांग करता है, जिसके अंतर्गत,याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण,नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में "नियम 1996") के नियम 10(9) के प्रावधनों के अंतर्गत सेवा सें पदच्युत कर दिया गया था और उसे 180.440 किलोग्राम तांबे के तार की हानि के लिए 18,111 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था और दिनांक 28.04.2006 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-06) को भी अपास्त करने की मांग करता है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता द्वारा संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार है की याचिकाकर्ता दिनांक 26.07.1997 से 05.02.2001 तक व्यवहार न्यायालय, बैकुंठपुर, जिला कोरिया में कनिष्ठ नायब नाजिर के पद पर कार्यरत था। दांडिक वाद क्रमांक 58/1996 में जब्त की गई वस्तुएँ अर्थात् 270 किलोग्राम तांबे के तार अभियुक्तों नासिर उद्दीन और रमेश कुमार ताम्रकार को लौटाने का निर्देश दिया गया था। यह पाया गया कि लौटाया गया तांबे का तार 270 किलोग्राम में से 180.400 किलोग्राम कम था, जिसकी कीमत 18,111/- रुपये थी। याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच आरंभ की गई और अप्रैल 2001 में आरोपों और गवाहों की सूची सहित एक आरोप पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.05.2001 को अपना जवाब(अनुलग्नक पी-03) प्रस्तुत किया। व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, बैकुंठपुर जाँच अधिकारी नियुक्त किये गये। जांच अभिलेख (अनुलग्नक पी -04) दिनांक 06.07.2002 को प्रस्तुत की गई,जिसमें यह माना गया कि 270 किलोग्राम तांबे के तार वापस न करने और 180.400

किलोग्राम के गुम होने का आरोप सिद्ध हो गया है। अभिलेख में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 06.02.2001 को 18:40 बजे गिरफ्तार किया गया था और वह 08.02.2001 को 18:40 बजे तक अभिरक्षा में रहा। इस प्रकार उसने अभिरक्षा में 48 घंटे से अधिक समय बिताया। अन्वेषण में यह भी पाया गया, कि अपचारी कर्मचारी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 197 का पालन न करने के कारण अभियोजन पक्ष वाद साबित करने में विफल रहा है।

3. जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, दिनांक 12.07.2008 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने रिपोर्ट स्वीकार करने और प्रस्तावित दंड के संबंध में कारण बताओ नोटिस के याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने के पश्चात सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया और याचिकाकर्ता को 180.400 किलोग्राम तांबे के तार के मूल्य के रूप में 18,111/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने उपरोक्त व्यक्तियों को वापस नहीं किया था। इसके विरुद्ध अपील दाखिल की गई,जिसे दिनांक 28.04.2006 के आदेश (अनुलग्नक पी-06) द्वारा खारिज कर दिया गया ।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शुक्ला ने निवेदन किया कि 270 किलोग्राम तांबे के तार में से 180.400 किलोग्राम तांबे के तार की हानि के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था और याचिकाकर्ता को दिनांक 24.04.2010 के आदेश द्वारा अधिरोपित आरोपों से बरी कर दिया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को उन्हीं साक्षियों और तथ्यों के आधार पर आरोपों से बरी किया गया था, अतः दिनांक 14.09.2002 के पदच्युति आदेश को अपास्त किया जाए और याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यह भी तर्क दिया गया है कि जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूर्णरूपेण दूषित था। अपील को भी यांत्रिक तरीके से खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को बचाव का उचित अवसर नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता को तांबे के तार का कुल वजन ज्ञात नहीं था, क्योंकि नजारत में जमा करने से पहले उसका वजन नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने जाँच अधिकारी के विरुद्ध व्यक्तिगत द्वेष और दुर्भावना का गंभीर आरोप लगाया है, जिस पर जांच और विचार नहीं किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को संबंधित पुलिस थाना द्वारा जब्ती दिनांक से 2 वर्ष से अधिक समय बाद पेश किया गया था। इस प्रकार, तांबे के तार की मात्रा विश्वसनीय नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया है कि वस्तु का पंचनामा रिपोर्ट विभागीय जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया था । प्रस्तुतकार, डी.एल. देवांगन जो सबसे प्रासंगिक व्यक्ति थे, उनकी जांच कार्रवाई में पूछताछ की जानी चाहिए थी ऐसा नहीं किया गया और अन्य दो गवाहों का भी परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 02 और 03 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत दांडिक प्रकरण अपराध क्रमांक 294/2000 में दांडिक प्रकरण दर्ज होने के पश्चात, याचिकाकर्ता को दिनांक 04.02.2001 को गिरफ्तार किया गया और वह 12.02.2001 तक अभिरक्षा में रहा। याचिकाकर्ता को दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची के साथ उचित आरोप पत्र तामील किया गया था। याचिकाकर्ता का कथित आचरण "दुराचार" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने चार गवाहों का परीक्षण कराया और आरोपों को साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए। याचिकाकर्ता की अभिरक्षा से 180.400 किलोग्राम तांबे के तार के लापता होने के संबंध में उचित जांच के बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और यह सिद्ध पाया गया कि याचिकाकर्ता ने इसे विधिवत प्राप्त किया था और वह पूरी मात्रा लौटाने में विफल रहा। याचिकाकर्ता को पूर्व में भी व्यवहार वाद क्रमांक 164-अ/1991 के दस्तावेज गुम होने के प्रकरण में संलिप्त होने के संबंध में दिनांक 26.08.1997 के आदेश द्वारा संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि में रोककर दंडित किया जा चुका है।

7. मैंने दोनों पक्षों के उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं का श्रवण किया और अभिवचनों तथा उनसे संलग्न दस्तावेजों का परीशीलन किया है।

8. याचिकाकर्ता ने जांच के संचालन के संबंध में कई आरोप लगाए हैं।यद्यपि याचिकाकर्ता यह बताने में विफल रहा है कि क्या इस न्यायालय के समक्ष लगाए गए आरोप पहले कभी जाँच अधिकारी , अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय अधिकारी के समक्ष उठाए गए थे। याचिकाकर्ता यह भी साबित करने में विफल रहा है कि जांच का कोई विशेष अंश , जो युक्तियुक्त साक्षियों पर आधारित नहीं था, दूषित या विकृत था। दुर्भावना , सुनवाई का अवसर न दिए जाने और संबंधित व्यक्तियों की जांच न किए जाने के आरोप किसी भी दस्तावेज या प्रमाण से समर्थित नहीं है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुतकार की जांच नहीं की गई थी, तो याचिकाकर्ता को प्रस्तुतकार की जांच के लिए आवेदन करना चाहिए था, जिसने जब्त की गई वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात उन्हें नजारत में रखने के लिए याचिकाकर्ता को सौंप दिया था । याचिकाकर्ता ने कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें उसने जांच कार्रवाई में उक्त आपत्ति उठाई हो। कारण बताओ नोटिस के पश्चात् और दंड का प्रस्ताव करने वाले दूसरे कारण बताओ नोटिस के पश्चात् प्रस्तुत सभी उत्तरों में याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार किया है। क्योंकि जब्त की गई वस्तुओं का वजन प्राप्ति के समय नहीं किया गया था इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि जब्त की गई वस्तुओं का वजन 270 किलोग्राम नहीं था। याचिकाकर्ता ने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः जांच को दूषित नहीं ठहराया जा सकता।

9. याचिकाकर्ता न्यायिक विभाग का सदस्य है, जिसमे अपेक्षित सत्यनिष्ठ और आचरण का स्तर उच्चतम स्तर का होता है। न्यायपालिका की संरचना न्याय प्रशासन और उससे संबंधित अन्य कारणों से जनता के विश्वास और भरोसे पर आधारित है। यह जांच उन व्यक्तियों में से एक की शिकायत पर शुरू की गई थी, जो पुलिस द्वारा जब्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किए गए हैं और बाद में याचिकाकर्ता को नजारत में सौंपे गए 270 किलोग्राम तांबे के तार को वापस पाने के हकदार थे। उचित जांच के पश्चात यह सिद्ध पाया गया।

10. यदि न्याय प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारी /कर्मचारी अपने कार्यों में उच्चतम् स्तर की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी नहीं बरतते हैं,तो जनता का विश्वास टूट सकता है। याचिकाकर्ता को ऐसा होना चाहिए जो न्यायिक प्रणाली की गरिमा को बनाए रखें।

11. *मेसर्स फ्रांसिस क्लेन एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम उनके कामगार और अन्य*[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "हमारी विचार में जब कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी पर भरोसा खो देता है, विशेषकर ऐसे व्यक्ति पर जिसे वह विश्वास और भरोसे का पद सौंप रहा हो, तो उसे पुनः नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता....."

12. ***कमिश्नर ऑफ पुलिस,नई दिल्ली बनाम नरेंद्र सिंह***[2] प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "12. यह निर्विवादित है कि दांडिक प्रकरण और विभागीय कार्यवाही में दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज करने के लिए आवश्यक प्रमाण के मानक भिन्न-भिन्न होते हैं। दांडिक प्रकरणों में आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करना आवश्यक है, जबकि विभागीय कार्यवाही में संभावना की प्रबलता ही पर्याप्त होती है। (देखें: कमलादेवी अग्रवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)
>
> 13. इस न्यायालय के अनेक निर्णयों के कारण अब सु-स्थापित है, कि यदि किसी कर्मचारी आपराधिक आरोप से बरी कर दिया गया है, तो यह अपने आप में उसकी विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू न करने या बरी होने का आदेश पारित होने की स्थिति में कार्रवाई को समाप्त करने का आधार नहीं होगा"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. ***सर्वोच्च न्यायालय ने पांडियन रोडवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एन. बालकृष्णन***[3], प्रकरण में निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "19. यह ध्यान रखना उपयोगी होगा कि पंजाब राज्य बनाम सुखविंदर सिंह प्रकरण में इस न्यायालय ने यह माना है की पंजाब पुलिस नियमों के नियम 16.2(1) में प्रयुक्त शब्द **"दुराचार का सबसे गंभीर कृत्य"** को दंड के आदेश में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रत्येक मामले में मौजूद तथ्यात्मक स्थिति से पता लगाया जा सकता है।
>
> 20. यद्यपि, इस प्रकरण का एक और पहलू है जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इस बीच, प्रतिवादी को बरी कर दिया गया है उनके

---

[1] (1972) 4 SCC 569
[2] (2006) 4 SCC 265
[3](2007) 9 SCC 755

बरी होने के तथ्य को खंडपीठ ने ध्यान में रखा है, जिसे एक अतिरिक्त कारक माना गया है। सामान्यतः यह प्रश्न की क्या किसी आपराधिक मामले में बरी होना विभागीय कार्रवाई में दोषी अधिकारियों पर लगाए गए दंड के आदेश के संबंध में निर्णायक होगा। यह मामला फिर से किसी विशेष मामले में जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

21. इस क्षेत्र में इस न्यायालय के निर्णयों की स्पष्ट रूप से दो धाराएं प्रचलित है। एक वे मामले हैं जो कैप्टन एम. पॉल एंथोनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और जी.एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य के दायरे में आते हैं। यद्यपि निर्णयों की दूसरी धारा यह दर्शाती है कि दांडिक मामले में सम्मानजनक दोषमुक्त अपचारी अधिकारी को दी गई दंड के आदेश के संबंध में निर्णायक नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से तब जब: (i) दोष मुक्ति का आदेश तथ्यों या साक्षियों के समान समूह पर पारित नहीं किया गया हो; (ii) दांडिक प्रकरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई में साक्ष्य के मानक में अंतर की प्रभाव पर विचार नहीं किया गया हो (देखें: पुलिस आयुक्त बनाम नरेंद्र सिंह), या जहाँ अपचारी अधिकारी पर दांडिक मामले के विषय से अधिक किसी बात का आरोप लगाया गया था और या सिविल न्यायालय के किसी निर्णय के अंतर्गत आता था (देखें: जी. एम. टैंक, जसबीर सिंह बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक और नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन बनाम नोएडा, कंडीका 18)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. ***उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सुरेश चंद शर्मा***[4], के प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय दिया गया :

"22. नगर पालिका ,बहादुरगढ़ बनाम कृष्णन बिहारी के मामले में उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया (एस.सी.सी. पृष्ठ 715, कंडिका 04)

"04.....इस प्रकार के मामले में वास्तव में, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में निष्कासन के अलावा कोई अन्य दंड नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में दिखाई गई कोई भी सहानुभूति पूरी तरह से अनुचित और जनहित विरुद्ध है। दुर्विनियोग की गई राशि छोटी या बड़ी हो सकती है; महत्वपूर्ण बात दुर्विनियोग का कृत्य है"।

इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा इन मामले में दोहराया गया है रस्टन एंड होम्स्बी (I) लिमिटेड बनाम टी.बी.कदम ,यू.पी. एसआरटीसी बनाम वासुदेव चौधरी, जनता बाजार (साउथ कानारा सेंट्रल कॉर्प. होलसेल स्टोर्स लिमिटेड) बनाम सहकारी नौकरारा संघ,कर्नाटका एस.आर.टी.सी. बनाम बी.एस. हुल्लीकट्टी और राजस्थान एस.आर.टी.सी. बनाम घनश्याम शर्मा।

[4] (2010) 6 SCC 555

23. एन.ई.के.आर.टी.सी. बनाम एच. अमरेश और यू.पी. एसआरटीसी बनाम विनोद कुमार के मामले में इस न्यायालय ने यह माना कि दंड हमेशा दुराचार की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए।यद्यपि भ्रष्टाचार /दुर्विनियोग के मामले में एकमात्र दंड पदच्युति हैं।

24. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए,कर्मचारी की ओर से उठाया गया यह तर्क कि सेवा से पदच्युति का दंड कर्मचारी के सिद्ध अपराध के अनुपात में नहीं है, स्वीकार्य नहीं है"।

15. याचिकाकर्ता को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,बैकुंठपुर द्वारा दिनांक 24.04.2010 को दांडिक प्रकरण क्रमांक 522/2001 में बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत अपराध साबित करने में विफल रहा है। यह सिद्ध नहीं हुआ है कि दाण्डिक न्यायालय में उन्हीं गवाहों का परीक्षण कराया गया था। यह मामला लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग से संबंधित अपराध के लिए दर्ज किया गया था।

16. इस प्रकरण में, अनुशासनात्मक जांच 1996 के नियमों के प्रावधनों के अंतर्गत परिभाषित कदाचार के लिए शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिससे यह संकेत मिले कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण उन्हीं तथ्यों और साक्षियों के आधार पर था जो दाण्डिक न्यायालय और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध थे।

17. यह माना गया है, कि आपराधिक मामले में पुख्ता सबूत की आवश्यकता होती है; यद्यपि अनुशासनात्मक जांच में संभावनाओं के आधार पर भी आरोपों को सिद्ध माना जा सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता दाण्डिक न्यायालय से बरी होने का लाभ नहीं उठा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. सर्वोच्च न्यायालय ने संभागीय नियंत्रक, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम एम.जी. विठ्ठल राव[5] के प्रकरण में इस विषय पर पहले के सभी निर्णयों की जांच करने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय दिया:

"24. इस प्रकार सु-स्थापित विधिक सिद्धांत के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता कि क्योंकि दोनों कार्यवाही में सबूत का मानक बिल्कुल भिन्न है और पदच्युति किसी कर्मचारी के दांडिक मामले में मात्र दोषसिद्धि पर आधारित नहीं है, इसलिए किसी दांडिक प्रकरण में कर्मचारी की दोषमुक्ति विभागीय कार्यवाही के प्रभाव को समाप्त करने का आधार नहीं हो सकती। न ही विभाग की ऐसी कार्रवाई को दोहरा दंड कहा जा सकता है। कैप्टन एम. पॉल एंथोनी मामले में इस न्यायालय का निर्णय सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाला विधि नहीं है। किसी व्यक्तिगत मामले में जुड़े तथ्य, आरोप और साक्ष्य की प्रकृति आदि यह निर्धारित करेंगे कि दोष मुक्ति के निर्णय का घरेलू जांच में दर्ज निष्कर्षों पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं।

आत्मविश्वास की हानि

[5] (2012) 1 SCC 442

25. एक बार जब नियोक्ता का कर्मचारी पर से विश्वास समाप्त हो जाता है और विश्वास की वास्तविक हानि की पुष्टि हो जाती है, तो दंड के आदेश को चुनौती से मुक्त माना जाना चाहिए क्योंकि विश्वास और भरोसे के पद का निर्वहन करने के लिए पूर्ण सत्यनिष्ठा आवश्यक है, और विश्वास खो जाने की स्थिति में पुनः नियुक्ति का निर्देश नहीं दिया जा सकता। (एयर इंडिया कॉर्पोरेशन बनाम बी.ए. रेबेलो, फ्रांसिस क्लेन एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम वर्कमैन और बी.एच.ई.एल. बनाम एम.चंद्रशेखर रेड्डी"।)

19. याचिकाकर्ता ने अपने इस तर्क के समर्थन में संभागीय वन अधिकारी, कोथागुडम बनाम मधुसूदन राव[6] के प्रकरण का अवलंबन लिया कि अपील में पारित आदेश को अपास्त कर दिया जाए क्योंकि उसमें कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

"20. निसंदेह यह भी सत्य है कि अपीलीय या पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्वीकार करने और उसकी पुष्टि करने के लिए विस्तृत कारण देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हमारे विचार में न्याय के हित में अपचारी अधिकारियों को कम से कम यह जानने का अधिकार है कि अपीलीय या पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी से उसकी अपील और / या पुनरीक्षण को खारिज करने के संबंध में क्या निर्णय लिया है। यह सत्य है कि विस्तृत कारण देना अनिवार्य नहीं है,किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों की पुष्टि करने वाले आदेश में भी कुछ संक्षिप्त कारण अवश्य बताए जाने चाहिए"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तुत प्रकरण में, मैंने कार्यवाही के अभिलेख देखे हैं। अपीलीय आदेश पारित होने से पहले, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को स्वीकार करने और उसकी पुष्टि करने के कारण दर्ज किए गए हैं।

20. जी.एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य और अन्य[7] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि यदि विभागीय और दाण्डिक कार्यवाही में तथ्य और साक्ष्य बिना किसी अंतर के समान थे तो कर्मचारी को सफलता मिलनी चाहिए। यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि विभागीय जांच और आपराधिक कार्यवाही में तथ्य और साक्ष्य समान थे । यद्यपि,जी.एम. टैंक (पूर्वोक्त) प्रकरण में यह टिप्पणी की गई थी की कैप्टन एम. पॉल एंथोनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड[8] का न्याय दृष्टान्त लागू होगा, जिस पर संभागीय नियंत्रण, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (पूर्वोक्त) प्रकरण में विचार किया गया था और यह माना गया था कि कैप्टन एम पॉल एंथोनी (पूर्वोक्त) का निर्णय सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाली विधि नहीं है।

21. याचिकाकर्ता द्वारा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और अन्य बनाम पी. काटा राव[9] न्याय दृष्टान्त के अवलंब में अनुशासनात्मक प्राधिकारी और दाण्डिक कार्यवाही में प्रतिवादी

---

[6] (2008) 3 SCC 469
[7] (2006) 5 SCC 446
[8] (1999) 3 SCC 670
[9] (2008) 15 SCC 657

दुर्विनियोग का दोषी नहीं पाया गया था। अतः मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था। यह वर्तमान मामले के तथ्यों से संबंधित नहीं है।

22. याचिकाकर्ता द्वारा अन्य मामलों जैसे अनूप जायसवाल बनाम भारत सरकार और अन्य[10] जरनैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य[11] राधे श्याम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और अन्य[12] तथा इस न्यायालय के ढालूराम कोसरिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य[13] कि निर्णय दृष्टान्त पर विश्वास करना, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अंतर्गत आवश्यक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन पर आधारित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि जांच के संचालन में या दंड अधिरोपण से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था।

23. उपरोक्त कारणों से और वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सु-स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए यह पाया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत निर्णय और उसके बाद दंड का अधिरोपण तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इसे बरकरार रखा जाना दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता को पूर्ण सत्यनिष्ठा कर्तव्यनिष्ठा और सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय आचरण का दोषी पाया गया है जो छत्तीसग़ढ सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधनों के अंतर्गत कदाचार है।

24. फलस्वरूप ,रिट याचिका सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है तथा पक्षकारों को अपना-अपना व्यय वहन करना होगा।

सही /-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[10] (1984) 2 SCC 369
[11] (1986) 3 SCC 277
[12] AIR 1999 SC 609
[13] 2006 (2) CGLJ 196

अस्वीकरण

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक: छबि लाल
(अधिवक्ता)
व्यवहार न्यायालय गुंडरदेही,जिला-बालोद, (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur